

फंद अहकाम

(नियम 26)

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

जमदीश

बनाम

अंकरलाल कोटे

अपील

नं.

188

वर्ष

2011

हुकम या कार्यवाही मय हरिद्वार

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अभिजाफक अपीलार्ड अपीलार्ड रिपोर्ट लखित
हो चुकी है अतः प्रकरण ली कर रेस्पोजेण्डन्स की
तलबी जरूरी लगभग की जावे। अखीनल न्यायालय
वांछित मूल नामांतकाण व रेकर्ड भी तलब किया जाकर
पत्रावली दिनांक 19-01-2012 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

1529
6/1/12

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिजाफक सेब रोक लाया
आज न्यायिक कार्य स्थगित करता है अतः एस्व हुकम
(नामिका पत्रावली दिनांक 23-02-12 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

38-42
28/1/12

पत्रावली पेश हुई। अभिजाफक अपीलार्ड अपीलार्ड है।
मिसल व रेकर्ड प्राप्त हो चुका है। रेस्पोजेण्डन्स के लक्षण
कोद तामील अज्ञात। एस्व हुकम प्रमाण पर लखित हो
अतः रेस्पोजेण्डन्स की तलबी प्रमाण की जाकर पत्रावली दिनांक
15/3/12 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिजाफक सेब रोक लाया
आज जिला न्यायालय के कार्यों के निधन होने से
न्यायिक कार्य स्थगित करता है। रेस्पोजेण्डन्स के लक्षण
अदम तामील शामिल पत्रावली है। एस्व हुकम (नामिका
पत्रावली दिनांक 12-4-12 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

सेर
मिसल अपीलार्ड
दोंब

2-2-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि अपीलाइट उपरी
तलवी शैम्पो हेतु तलबाना कोटिंग पेश नहीं
किया गया। इस हुकम लालिका पत्रावली क्रि।0-3-17
को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

10-3-17

पत्रावली पेश हुई। अग्निमाफक अपीलाइट
उपरी बाते तलवी शैम्पो दिनांक 20/4/17 को
पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

20/4/17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि अपीलाइट उपरी
इस हुकम लालिका पत्रावली क्रि।0-28-4-17
को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

28/4/17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि अपीलाइट उपरी
काते तलवी शैम्पो तलबाना समूह पेश होने वाली
जकार दि। 5-5-17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

5.5-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि अपीलाइट
उपरी तलवी शैम्पो हेतु तलबाना समूह पेश
करने अग्नि. अपीलाइट को पूर्व में कई अवसर
दिये जाये किन्तु आदिनांक तलबाना समूह पेश
नहीं किये। यह अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली
दिनांक 18-5-17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

18.5-17

पत्रावली पेश हुई। अग्निमाफक अपीलाइट अनुप
पत्रावली के अवलोकन के पाया गया कि अग्नि. अपीलाइट
को वर्ष 2012 से ही प्रतिपरीक्षण की तलवी हेतु तलबाना
कोटिंग पेश करने के काफी अवसर दिए जाये किन्तु
पेश नहीं किये जाये इससे जाहिर है कि वे प्रकल्प
में तैरवी के इच्छुक नहीं है। अतः प्रकरण अतः
हाजरी- अदत तैरवी ने तैरवी किया जाता है। पत्रावली
निर्णय शुक्रा होकर बाद तलवी तारीख तलबाना
हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब